न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 32/2021 नामांतरकरण अपील

1. नारायणी पत्नि रामसहाय
2. सोमोती पत्नि चेतराम
3. मनोहर पुत्र चेतराम
4. शेरसिंह पुत्र चेतराम
5. कालू पुत्र चेतराम
6. रामचरण पुत्र चेतराम
7. मुन्नी पुत्री चेतराम
8. मीना पुत्री सुरेश
9. प्रेमचन्द पुत्र भगतसिंह दत्तक पुत्र सुरेश
10. सुखबाई पुत्री भगतसिंह

समस्त जाति चमार(बैरवा) निवासी सिकन्दरा रोड बांदीकुई।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. दीपचन्द पुत्र भौरया
2. ताराचन्द पुत्र भौरया
   जाति चमार(बैरवा) निवासी सिकन्दरा रोड अनाज मण्डी के पास बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।
3. केसर पुत्री भौरया पत्नि श्रवण कुमार जाति चमार(बैरवा) निवासी मकान नम्बर 220 सी ब्लॉक 80 गज टैगोर गार्डन रघुवीर नगर नई दिल्ली।
4. कौशल्या उर्फ लाली पुत्री भौरया पत्नि किशनलाल जाति चमार(बैरवा) निवासी मकान नम्बर 220 सी ब्लॉक 80 गज टैगोर गार्डन रघुवीर नगर नई दिल्ली।
5. हीरालाल पुत्र घासी जाति चमार(बैरवा) निवासी सिकन्दरा रोड अनाज मण्डी के पास बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।
6. नीतू उर्फ निर्मला पुत्री शिवचरण पत्नि ओमप्रकाश जाति चमार(बैरवा) निवासी 2/188 ई–ब्लॉक झालाना डूंगरी गांधीनगर जयपुर।
7. राज. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।
8. हरि पुत्र नारायण जाति चमार(बैरवा) निवासी सिकन्दरा रोड अनाज मण्डी के पास सिकन्दरा रोड बांदीकुई।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध आदेश ए.एस.ओ. अलवर मुख्यालय बसवा दिनांक 30.05.1992 जो नामान्तरकरण संख्या 378 ग्राम श्यालावास खुर्द पर पारित किया गया है)

उपस्थिति :–: श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री नवल किशोर बैरवा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 5 अनुपस्थित।
: रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 6, 8 अनुपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 25.04.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:27:48 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार [illegible] ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई में स्थित कृषि भूमि सेटलमेन्ट [illegible] नम्बर 320 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 320 रकबा 0.53 है. के 1/4 हिस्से [illegible] खातेदार व काबिज काश्तकार नारायण पुत्र मांगीलाल चमार(बैरवा) था। उक्त नारायण की मृत्यु हो गई जिसके वारिस उसके सात पुत्र भौरया, घासी, रामसहाय, चेतराम, सुरेश, भगतसिंह, हरि थे जिनमे से हरि के अलावा समस्त पुत्रों की मृत्यु नारायण की मृत्यु के बाद हो गई। रामसहाय के वारिस अपीलान्ट नारायणी, चेतराम के वारिस अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 7, सुरेश के वारिस अपीलान्ट संख्या 8 व 9 एवं भगतसिंह के वारिस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट संख्या 10 है। भौरया के वारिस वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 व घासी के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 है। उक्त भूमि के नारायण के हिस्से पर आज दिन मौके पर वाहमी तकास्मे से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 व 8 काबिज है तथा कुछ भूमि में रहवास बना रखे है तथा कुछ भूमि खाली है। नारायणी की मृत्यु होने पर भौरया व घासी ने तथा इनके वारिसान ने बिना नारायण के अन्य वारिसान रामसहाय, चेतराम, सुरेश, भगतसिंह, हरी को नोटिस दिये बिना व सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना एवं बिना वारिसान की जांच किये उक्त भूमि के विरासत का नामान्तरकरण संख्या 378 ग्राम श्यालावास खुर्द भरवाकर और उक्त नामान्तरकरण को बिना कोई जांच किये सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी अलवर मुख्यालय बसवा ने दिनांक 30.05.1992 को तस्दीक कर दिया, जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी। उक्त नामान्तरकरण संख्या 378 ग्राम श्यालावास खुर्द पर पारित आदेश दिनांक 30.05.1992 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री नवल किशोर बैरवा उपस्थित आये किन्तु बहस के दौरान उपस्थित नहीं हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 6, 8 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के तथ्यों के अनुसार ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई में स्थित कृषि भूमि सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नम्बर 320 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 320 रकबा 0.53 है. के 1/4 हिस्से का खातेदार व काबिज काश्तकार नारायण पुत्र मांगीलाल चमार(बैरवा) था। उक्त नारायण की मृत्यु हो गई जिसके वारिस उसके सात पुत्र भौरया, घासी, रामसहाय, चेतराम, सुरेश, भगतसिंह, हरि थे। जिनमे से हरि के अलावा समस्त पुत्रों की मृत्यु नारायण की मृत्यु के बाद हो गई। रामसहाय के वारिस अपीलान्ट नारायणी, चेतराम के वारिस अपीलान्ट संख्या 2 लगायत 7, सुरेश के वारिस अपीलान्ट संख्या 8 व 9 एवं भगतसिंह के वारिस अपीलान्ट संख्या 10 है। भौरया के वारिस वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 व घासी के वारिस रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 है। उक्त भूमि के नारायण के हिस्से पर आज दिन मौके पर वाहमी तकास्मे से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 व 8 काबिज है। नारायणी की मृत्यु होने पर भौरया व घासी ने तथा इनके वारिसान ने बिना नारायण के अन्य वारिसान रामसहाय, चेतराम, सुरेश, भगतसिंह, हरी को नोटिस दिये बिना व सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना एवं बिना वारिसान की जांच किये उक्त भूमि के विरासत का नारायण का नामान्तरकरण संख्या 378 ग्राम श्यालावास खुर्द भरवाकर और उक्त नामान्तरकरण को बिना कोई जांच किये सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी अलवर मुख्यालय बसवा ने दिनांक 30.05.1992 को तस्दीक कर दिया, जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी। उक्त नामान्तरकरण बिना अपीलान्ट व अपीलान्ट के बुजुर्गो को नोटिस दिये बिना व बिना सुनवाई सबूत का अवसर दिये बिना वारिसान की जांच किये तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट व अपीलान्ट के बुजुर्ग वाहमी तकास्मे से अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है तथा कुछ भूमि में मौके पर रहवास बना रखा है तथा कुछ भूमि खाली है। राजस्थान सरकार ने पट्टों के अभियान कैम्प चला रखे थे। उक्त भूमि में अपीलान्ट शेरसिंह व रामचरण अपने कब्जे की भूमि के पट्टे बनवाने हेतु नगरपालिका में गये तो वहां पर मौके पर दीपचन्द, ताराचन्द मिले जिन्होने बताया कि उक्त भूमि का पट्टा तुम्हारे नाम कैसे बन सकता है। उक्त भूमि तो हमारे पिता के नाम थी तुम्हाने नाम रही ही नहीं, इसलिये तुम्हारे नाम पट्टा कैसे बन सकता है तो अपीलान्ट ने उक्त लोगो से कहा कि हमारे नाम कैसे नहीं रही तो उक्त लोगो ने बताया कि नारायण की मृत्यु होने पर उक्त भूमि नामान्तरकरण के जरिये भौरया व घासी के नाम ही आई है त[illegible]ताओं के नाम नहीं आई है। तब अपीलान्ट ने दौसा रिकॉर्ड में जाकर दिनांक 22.11.2021 को तलाश किया तो मालुम पडा कि नारायण की मृत्यु के बाद नारायण की विरासत का नामान्तरकरण उपर व[illegible] सात पुत्रों में से मात्र दो पुत्र भौरया व घासी के नाम ही खोला है। अपीलान्ट के पिताओं के नाम नहीं खोला गया है तब उक्त नामान्तरकरण की नकल हेतु दिनांक 24.11.2021 को आवेदन पत्र पेश किया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 24.11.2021 को ही मिली तब अपीलान्ट को उक्त नामान्तरकरण संख्या 378 ग्राम श्यालावास खुर्द पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.1992 की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी। उक्त निर्णय अवैध, अमान्य व प्रभावशून्य निर्णय है। ऐसे निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:27:48 IST
Reason: Self Attested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की अपील की कोई मियाद नहीं होती है किन्तु फिर भी जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। अपीलान्ट ने मतदाता सूची प्रस्तुत की है जिस मतदाता सूची में नारायण के भौरया, घासी, चेत्या, रामसहाय, हरि, सूरज पुत्र दर्शा रखे है। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि उक्त नारायण के सभी पुत्रों के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला बल्कि दो ही पुत्र घासी व भौरया के नाम ही नामान्तरकरण खोला है जो गलत है। अपीलान्ट ने नारायण के पुत्र रेस्पोडेन्ट हरि द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांदीकुई के यहां प्रस्तुत दावा बंटवारा उनवानी हरि बनाम दीपचन्द की नकल पेश की है उक्त वाद में हरि ने भी सजरा बताया है उक्त सजरे में भी नारायण के सभी पुत्र बताये गये है। जिससे भी यह स्पष्ट सिद्ध है कि नारायण के उपर वर्णित सात पुत्र मौजूद थे किन्तु गलत तरीके से दो ही पुत्रों के नाम नामान्तरकरण खोला गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 378 ग्राम श्यालावास खुर्द पर पारित आदेश दिनांक 30.05.1992 को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को नारायण पुत्र मांगीलाल के समस्त वारिसान के नाम नामान्तरकरण खोलने का आदेश देने की कृपा करे।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण 378 ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई पर पारित आदेश दिनांक 30.05.1992 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर मुख्यालय बसवा द्वारा पारित किया गया है। जिसकी अपील लगभग 29 वर्ष बाद की गई है। इतनी लम्बी अवधि पश्चात् अपील पेश किये जाने का कोई औचित्य पूर्ण कारण नहीं व्यक्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 378 दिनांक 30.05.1992 प्रश्नगत भूमि के खातेदार नारायण पुत्र मांगीलाल के विरासत का नामान्तरकरण खोला गया है। किन्तु मृतक खातेदार नारायण के सभी वारिसों के सम्बन्ध में जांच कर विरासत का नामान्तरकरण खोला जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 378 दिनांक 30.05.1992 ग्राम श्यालावास खुर्द खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बांदीकुई को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि के खातेदार मृतक नारायण पुत्र मांगीलाल जाति चमार के विधिक वारिसान की जांच कर विधिवत कार्यवाही करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:27:48 IST
Reason: SelfAttested